<u>उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>आपराधिक रिट याचिका संख्या 1959/2022</u>

योगेश कुमार..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य। ..... प्रतिवादी

वर्तमान:

याचिकाकर्ता के वकील श्री तपन सिंह।

श्री जे0एस विर्क, विद्वान उप. राज्य के महाधिवक्ता.

आरक्षित: 16.11.2022

वितरित: 30.11.2022

इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 466 और 467 के तहत एफआईआर संख्या 06/2022 के रूप में दर्ज एफआईआर दिनांक 08.08.2022 को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति में रिट जारी करने की प्रार्थना की है। (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए दंड संहिता के रूप में जाना जाता है), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 3 ए और 3 बी, भारतीय वन अधिनियम, 1972 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ए) के तहत (इसके बाद इसे कहा गया है) (संक्षिप्तता हेतु पी.सी. अधिनियम) सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर, हलद्वानी, जिला नैनीताल द्वारा पंजीकृत। उन्होंने प्रतिवादी संख्या को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए भी प्रार्थना की है। प्रतिवादी 2 और 3 रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं करने और कोई भी राहत देने के लिए जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

2. संबंधित मामले में मुख्य आरोपी किशन चंद की याचिका दिये गये कारणों पर खारिज कर दी गयी है. उक्त सिद्धांत लागू होता है। यह मामला भी. मुख्य आरोपी और वर्तमान आरोपी योगेश कुमार के बीच एकमात्र अंतर यह है कि योगेश कुमार वन विभाग का कर्मचारी नहीं था, वह एक ठेकेदार था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि वह मुख्य आरोपी किशन चंद के साथ यहां ऊपर कथित अपराध को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल था।

3. मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि माना जाता है कि इस याचिकाकर्ता ने मुख्य अभियुक्त के तत्वावधान में अनुबंधों को निष्पादित किया है। उसकी भी जांच करायी जाये, उन्होंने एफआईआर को रद्द करने का कोई मामला भी नहीं बनाया ।

4. अत: रिट याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अंतरिम आदेश दिनांक 03.11.2022 निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मिश्रा, जे.)

(नियमानुसार प्रमाणित प्रति प्रदान करें)

पीवी